इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 395] भोपाल, शनिवार, दिनांक 31 अगस्त 2013—भाद्र 9, शक 1935

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्र. एफ-22-41-2011-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 111 के साथ पठित धारा 212 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 9 जुलाई 2013 को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा तथा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं, निम्नलिखित संशोधन करती है:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 185 में, उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(3) उपनियम (1) तथा (2) के उपबंध किसी अग्नि शमन यान के चालक को जबकि वह आग बुझाने के लिए यान को ले जा रहा हो या किसी एम्बुलेन्स के चालक को जबकि वह गंभीर रूप से बीमार रोगी को ले जा रहा हो लागू नहीं होंगे.

(4) किसी भी मोटरयान का कोई भी चालक किसी भोंपू (साइरन)/हूटर का प्रयोग नहीं करेगा. इस उपनियम के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे, अर्थात् :—

(क) राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष की एस्कोर्टिंग में लगे हुए सुरक्षा यान;

(ख) सेना/पुलिस/कार्यपालिक दण्डाधिकारी का यान, जबकि उनकी अधिकारिता में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिये लगा हो;

(ग) कोई अग्निशमन यान, जबकि आग बुझाने के लिए ले जाते समय; और

(घ) कोई एम्बुलेंस, उसके किसी गंभीर रूप से बीमार रोगी को ले जाते समय."

No. F-22-41-2011-VIII.—In exercise of the powers conferred by Section 111 read with Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), The State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh, Motor Vehicle Rules, 1994 the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary), dated 9th July, 2013 as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in the rule 185, for sub-rule (3), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(3) The provisions of sub-rule (1) and (2) shall not apply to the driver of a fire brigade vehicle while proceeding to extinguish fire or the driver of an ambulance while carrying seriously ill patient.

(4) No driver of a motor vehicle shall use a siren/hooter. The provisions of this sub-rule shall not apply to the following, namely :—

(a) security vehicle engaged in escorting of Governor, Chief Minister, Chief Justice of High Court or Speaker of the State Legislative Assembly;

(b) a vehicle of the Army/Police/Executive Magistrate, when engaged in maintaining law and order situation in their jurisdiction;

(c) a fire-brigade vehicle while proceeding to extinguish fire; and

(d) an ambulance while carrying a seriously ill patient;"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनू तिवारी, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.